रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3437] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939
No. 3437] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3933(अ).– संशोधन अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते : gyanesh.bharti@ias.nic.in और sharath.kr@gov.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप संशोधन अधिसूचना

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में मद 1 (क), 1 (ग), 8 (ख) और परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति और उससे संबंधित प्रविष्टियों सहित लघु खनिज की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपेक्षाओं के स्कीमेटिक प्रस्तुतीकरण के लिए निम्नलिखित मदों तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

परियोजना या कार्यकलाप		प्रारम्भिक सीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें यदि कोई हों
		क	ख	
1		खनन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कषर्ण तथा विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)		
(क) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(क)	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में ≥100 हे. खनन	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में <100 हे. खनन	सिवाय निम्नलिखित के साधारण शर्तें लागू होंगी-

		पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में >150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना अज़बेस्टो का खनन	पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में ≤150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र	(i) प्रवर्ग 'ख2' लघु खनिजों के खनन (25 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र तक) के लिए परियोजना का कार्यकलाप; (ii) अंतरराज्यीय सीमा के कारण नदी तल खनन परियोजनाएं। **टिप्पण:** (1) खनिज के पूर्वेक्षण को छूट दी गई है। (2) लघु खनिजों, जिनके अंतर्गत समूह अवस्थिति है, के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट XI में दी गई है; (3) ऐसे खनन पट्टे, जिनमें पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन अभिप्राप्त की है, के लिए नई पर्यावरणीय अनापत्ति नवीकरण के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी परंतु यह कि परियोजना के पास विधिमान्य और विद्यमान पर्यावरणीय अनापत्ति हो।
	(ii) पिच्छल पाइप लाईने (कोयला लिगनाइट और अन्य अयस्क) जो राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/कोरल रीफ, पारिस्थितिकी-संवेदी क्षेत्रों से गुजरती है।	सभी परियोजनाएं।		
1(ग)	(i) नदी घाटी परियोजनाएं (ii) सिंचाई परियोजना	(i) ≤50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) ≥50,000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र	(i) <50 मे.वा. ≥25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) <50,000 हे. >2000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी **टिप्पण :-** (i) एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवर्ग 'ख' नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा; (ii) किसी विद्यमान परियोजना द्वारा पर्यावरणीय लाभयुक्त सिंचाई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया जाना (उदाहरणार्थ बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई) जिसके फलस्वरूप खेती योग्य कमान क्षेत्र में वृद्धि हो, किन्तु बांध की ऊंचाई और जलमग्नता में वृद्धि न हो, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।
8(ख)	टाऊनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएं	-	≥ 1,50,000 वर्ग मीटर या ≥50 हे. क्षेत्र	**टिप्पण :-** साधारण शर्त लागू नहीं होगी

लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय निकासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमेटिक प्रस्तुतीकरण

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियोजना का प्रवर्ग	ईआईए/ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	कौन ईआईए/ईएमपी तैयार कर सकता है।	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन/स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी	ईसी की अनुपालना की मानीटरी करने के लिए प्राधिकारी
व्यष्टिक खनन पट्टे के आधार पर बालू खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
0-5 हे.	**'ख2'**	प्रारूप-1 एमपीएफआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/डीईआईएए	डीईआईएए एसईआईएए एसपीसीबी सीपसीबी एमओईएफसीसी, एमओईएफसीसी द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण
>5 हे. और <25 हे.	**'ख2'**	प्रारूप-1 पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना तथा ईएमपी	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/एसईआईएए	
≥25 हे. और <100हे.	**'ख1'**	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/एसईआईएए	
≥100 हे.	**'क'**	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/एमओईएफसीसी	
समूह स्थिति में बालू खनन और अन्य लघु खनिज के लिए ईसी प्रस्ताव								
5 हे. तक खनन पट्टे का समूह क्षेत्र	**'ख2'**	प्रारूप-1एमपीएफआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/डीईआईएए/	डीईआईएए एसईआईए एसपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी, एमओईएफसीसी द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण
>5 हे. और <25 हे. के खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के बिना किसी व्यष्टिक पट्टे के	**'ख2'**	प्रारूप-1 पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/डीईआईएए/	
व्यष्टिक पट्टा आकार <100 हे. के साथ	**'ख1'**	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/एसईआईएए	

≥25 के खनन पट्टों का समूह								
≥100 हे. से किसी व्यष्टिक पट्टे के आकार का काई समूह	**'क'**	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/एमओईएफसीसी	

[फा.सं.19-2/2013-आईए.।।। (पार्ट.।।)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किये गये थे और तदनंतर निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किये गए :-

1. का.आ.1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067 (अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.156 (अ) तारीख 25 जनवरी, 2012;
5. का.आ.2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012;
6. का.आ.674 (अ) तारीख 13 मार्च, 2013;
7. का.आ.2204 (अ) तारीख 19 जुलाई, 2013;
8. का.आ.2555 (अ) तारीख 21 अगस्त, 2013;
9. का.आ.2559 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2013;
10. का.आ.2731 (अ) तारीख 9 सिंतबर, 2013;
11. का.आ.562 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2014;
12. का.आ.637 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014;
13. का.आ.1599 (अ) तारीख 25 जून, 2014;
14. का.आ.2601 (अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
15. का.आ.2600 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ.3252 (अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014;
17. का.आ.382 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2015;
18. का.आ.811 (अ) तारीख 23 मार्च, 2015;
19. का.आ.996 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015;
20. का.आ.1142 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015;
21. का.आ.1141 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015;
22. का.आ.1834 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2015;
23. का.आ.2571 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2015;
24. का.आ.2572 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2015;
25. का.आ.141 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2016;
26. का.आ.190 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016;

27. का.आ.648 (अ) तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का.आ.2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का.आ.3518 (अ) तारीख 23 नवंबर, 2016; और
30. का.आ.3999 (अ) तारीख 9 दिसंबर, 2016

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3933(E).—The following draft of the amendment notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are published and;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or at e-mail address gyanesh.bharti@ias.nic.in and sharath.kr@gov.in

DRAFT AMENDMENT NOTIFICATION

In the said notification, in the schedule, for item 1(a), 1(c), 8(b) and the schematic presentation of requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

Project or Activity		Category with threshold limit		*Conditions if any*
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a)	(i) Mining of minerals	≥ 100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease. >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease Asbestos mining irrespective of mining area	<100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Conditions shall apply except: (i) For project or activity of mining of minor minerals of Category 'B2' (up to 25 ha of mining lease area); (ii) River bed mining projects on account of inter-state boundary. **Note:** (1) Mineral prospecting is exempted; (2) The prescribed procedure for environmental clearance

	(ii) Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI; (3) The mining leases which have obtained environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 1994 and Environment Impact Assessment Notification, 2006 shall not require fresh environmental clearance during renewal provided the project has valid and subsisting environmental clearance.
1(c)	(i) River Valley projects (ii) Irrigation projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 50,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 50,000 ha. > 5000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply **Note:-** i. Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level. ii. Change in irrigation technology having environmental benefits (eg. From flood irrigation to Drip irrigation etc.) by an existing project, leading to increase in Culturable Command Area but without increase in dam height and submergence, will not require EC.
8(b)	Townships and Area development projects	–	≥ 1,50,000 sq. mts or covering an area ≥ 50 ha	**Note:** General condition shall not apply

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI:

Area of Lease (Hectare)	**Category of Project**	**Requirement of EIA / EMP**	**Requirement of Public Hearing**	**Requirement of EC**	**Who can prepare EIA/ EMP**	**Who will apply for EC**	**Authority to appraise/ grant EC**	**Authority to monitor EC compliance**
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	**'B2'**	Form –1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
> 5 ha and < 25 ha	**'B2'**	Form –I, PFR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
≥ 25ha and < 100ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	

≥ 100 ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	**'B2'**	Form -1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	**'B2'**	Form -I, PFR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size <100ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease ≥ 100ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

[F.No. 19-2/2013-IA.III (Pt.II)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:—

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
5. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
6. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
7. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
8. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
9. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;

10. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
11. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
12. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
13. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
14. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
15. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
16. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
17. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
18. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
19. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
20. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
21. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
22. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
23. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
24. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
25. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
26. S.O. 190 (E) dated the 20th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016; and
30. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.20 18:17:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.